"प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023"
कैम्प स्थान ... मूल
परिवाद संख्या ... दिनांक ... कि परिवाद में वर्णित तथ्यों
की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर प्रकरण
का निस्तारण करते हुए प्रतिउत्तर आज ही पेश करें।

"प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2023"

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023
उपखण्ड अधिकारी, जायल

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्रीमान जी प्रार्थी का नाम खाता सं. 121 में खेती देवी w/o मजो कुमार है जबकि अन्य दस्तावेजों में इनका नाम खेती देवी w/o मनोज कुमार है। अतः इनका नाम खेती देवी w/o मनोज कुमार किया जाना उचित है।

5/9/23

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थिया ने कि आ.118 के क्र.143 के द्वारा पंजिकृत बैनामनामे अनुसार भूमि ग्राम बागराड़ के ख.नं. 39/16 मि. क्रय की जिसका अन्तरण राजस्व रेकर्ड में हो चुका है। पंजिकृत बैनामनामे में क्रेता का नाम खेतीदेवी पत्नी मनोजकुमार अंकित है जबकि जमाबन्दी में भिपिश्र भूमि के खेतीदेवी पत्नी मजो कुमार दर्ज है। जबकि प्रार्थिया के आधार कार्ड में भी पति का नाम मनोजकुमार अंकित है। पटवारी हल्का, मुक्त नि. कानूनगो की रिपोर्ट व पंजिकृत बैनामनामे के आधार पर ग्राम बागराड़ के खाता 121 में दर्ज खेतीदेवी पत्नी मजो कुमार के स्थान पर खेतीदेवी पत्नी मनोजकुमार नाम सही किया जाना उचित है।

आदेश

श्रीमान/प्रशासन/2023/91 दिनांक 5/9/23

तहसीलदार (भू.अ.) डेह
जिला नागौर

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र, फर्द भूमि, पंजिकृत बैनामनामे, पटवारी हल्का व मुक्त नि. कानूनगो डेह की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 के तहत ग्राम बागराड़ के खाता 121 में दर्ज खेती देवी पत्नी मजो कुमार के स्थान पर खेतीदेवी पत्नी मनोजकुमार राजस्व रेकर्ड में सही करने का आदेश किया जाता है। आदेश अनुसार राजस्व रेकर्ड में सही करने का आदेश किया जाने वाली फर्द का सुधार होकर नकल फर्द होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023
उपखण्ड अधिकारी, जायल

"प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023"

Scanned by CamScanner